राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग

CALL STATE OF STATE OF STATE

क्रमांक : पं. 5 (8) न.वि.वि./3/99

डावादिन के लिखा डो

(

3.

11

जयपुर, दिनांक : 26 मई 2000

ふうち 二日の 「「「」」」

19.2.4

परिपत्र

विभिन्न जिला कलेक्टर्स द्वारा नये अधिनियम के तहत भूमि नियमन के मागलों में कुछ कठिनाइयां महसूस की जा रही है तथा इस संबंध में निरंतर राज्य रूरकार से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। विचार विमर्श कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर से जा परिपत्र क्रमांक पं. 5 (2) न.वि.वि./3/99 पार्ट दिनांक 27.9.99, क्रमांक पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96 दिनांक 22.12.1939, क्रमांक पं. 5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 4.12.99, क्रमांक पं. 3 (28) 1.वि.वि./3/96 दिनांक 22.2.2000 एवं क्रमांक पं. 5 (3) न वि.वि./3/99 दिनांक 9.3.2000 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानसार विन्दुवार निर्देश दिये जाते हैं :-

 इस विभाग द्वारा जारी परिएत क्रमांक पं. 3 (28) न.वि.वि./3/96 दिनांक 22.12.99 के बिन्दु संख्या 5 में <u>राजकीय भूमि</u> जिसने सिवायचक, गेर मुमकिन रास्ते, चारागाह तथा अन्य सभी प्रकार को राजकीय भूनि को दरें उस जोन की नियमन दर का तीन गुणा राशि लेकर नियमन करने का उल्लेख है, को विलोपित किया जाता है। ऐसी राजकीय भूमि का नियमनदर उस क्षेत्र की आवासीय आरक्षित दर की 25 प्रतिशत राशि ली जाकर नियमन किया जावे।

2. ऐसे प्रकरग जिनमें संबंधित नगर विकास न्यास/स्थानीथ निकाय द्वारा अवाफि की कार्यवाही जूर्ण कर ली गई है तथा जिसमें अवार्ड के अनुसार मुआवजा राशि का चैक स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया जाकर संवंधित खातदार अथवा किसी सक्षम जिललत में जमा करवा दिया गया हो तो ऐसे प्रकरणों में राजकीय भूमि गानकर उस क्षेत्र की आवासीय आरंक्षित दर की 25 प्रतिशत सांश नियमन शुल्क के रूप में लेकर नियमन किया जा सकेगा।

यहां यह स्पप्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में अवार्ड जारी किया जा चुका हे परन्तु मुआवजा भुगतान की गांश का चैक स्थानीय निकाय द्वारा खातेदार या सक्षम न्यायालय को जारी नहीं किया गया है, उन प्रकरणों में सामान्य नियमन दर लागू होगों।*

किसी स्थानीय निकाय की अवाप्तधीन योजना में यदि अवार्ड जुरी झेने के उपरांत संबंधित खातेदार द्वारा अवैधानिक रूप से भूखण्ड काटकर बेच दिये गये हैं तथा जिन पर निर्माण कार्य नहीं आहे, ऐसे भूखण्डों के बारे में नियमन के लिये संवधित नगर विकास न्यास/स्थानीय निका निर्णय लेने में सक्षम होगी। सामान्य तौर पर ऐसे प्रकरणों में भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजना की कियान्वित करनी चाहिये। लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यदि योजना की कियान्विति संभव नहीं हो तो ऐसे भूखण्डों का नियमन किया जाना ही उचित रहेगा। जहां तक नियमन दरों का संबंध है, बिन्दु सख्या 2 में इसे स्पप्ट किया जा चुका है।

क्रम्शंक 3 (8) न.वि.वि./3/2001 दिनांक 12.7.2001 के द्वारा इस परिपत्र में संशोधन किया गया।

(341)

स्थानीय निकाय को योजनाएं जिनको भूमि अन्तापितधीन है तथा जिनमें अर्वाप्ति को कार्यवाही अन्तिम रूप से पूर्ण नहीं हो, उनमें सामान्य नियमन दर से नियमन राशि ली- जानी है. जिन प्रकरणों में नियनन किये जाने का निर्णय स्टिप्स जाता है, उनमें भूमि समर्पण संबंधी कार्यवाही की जाये।

۰.

Mar an Lang gan in a the state of the

A THANK AND IN A MANA WAY

5.

योजना क्षेत्रों में जहां ओंग्रेक/सचन रूप में उनयमन हो चुके हैं, उन निर्माणों के मध्य कहों-कहीं रिक्त भूखण्ड स्थित हैं, उनको क्षेत्र को वर्तमान स्थितियों के मध्यनजर आवासीय प्रयोजनार्ध/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ नियमन संयंधी कार्यवाही को जा सकेगी।

जो भूखण्ड मौके पर रिक्त है परन्तु योजना में अन्य प्रयोजनार्थ जैसे रोड, सार्वजनिक सुविधाओं के लिये योजना प्लान में अंकित है, उनको संबंधित स्थानीय निकाय/न्यास द्वारा निर्णय लिया जाकर अन्यत्र समीपीय क्षेत्र में नियमित/समायोजित किया जावेगा। नियमित किये जाने वाले भूखण्डों की राशि विन्दु संख्या 1 के अनुसार ली जावेगी।

6. ऐसे प्रकरणों में राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 के तहत खातेदारी अधिकारों के पर्यवसन (Termination) उपरांत भूमि संबंधित खातेदार/गृह निर्माण सहकारों सज्जित के सदस्य/अन्य व्यक्ति समिति द्वारा जारी दस्जवेचों के आधार पर या खातेदार द्वारा विक्रय इकरार आदि के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को हरतांतरित कर दी है तो अन्तिम हस्तांतरित के पक्ष में नियमन किया जा संकेगा।

किमी खातेदार गृह निर्माण सहकारी जन्दित के खातेदारी अधिकार रूमाप्त होने के पश्चाद भूनि के जिस्तारण संबंधी नगरीय विकास एवं अवासन विभाग के परिपत्र दिनांक 10.7.99 के द्वारा राजरधान भू राजस्व भिनियम, 1956 की धारा 90 (ख) के तहत खातेदारी आधकारों का पर्यवसन संयधित प्राधिकृत आ ग्लारी द्वारा किया जावेगा तत्पश्चात् नगरीय भूमि का निष्पादन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जविंगा। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां पर नगर विकास न्यास स्थित है, उन शहरों में नियमन संबंधी समस्त कार्यवाही यथा ले आउट प्लान स्वीकृत करना, पट्टा जारी करना, लीज राशि वसूल करना, पंजीयन आदि समस्त कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा संपादित की जावेगी। जहां न्यास स्थित नहीं है, वहां संयंधित स्थानीय निकाय द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगरों में नगर विकास न्यास कार्यरत है, उनमें नगर परिषद्/निगम के अधिकार क्षेत्र में स्वित ऐसे भूखण्ड/भवनों का नियमन भी नगर विकास न्यास द्वारा किया जावेगा। ऐसे प्रकरणों में आवंटन/नियमन पत्र जारी करना, ले आउट प्लान स्वीकृत करना, लीज राशि असूल करना व पंजीयन संबंधी कार्यवाही नगर विकास न्यास द्वारा ही की जावेगी। उसके उपरात समस्त कार्यवाही जैसे भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति आदि संबंधित नगर यरिषद्/निगम द्वारा की जाबेगी।

(342)

भवन मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाम के द्वारा उनके विधिक प्रावधानों के अनुसार की जावेगी। यदि नगर विकास न्यास व नगर परिषद् मौजूद हैं, वहां पर जनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के लिये मानचित्र अनुमोदित किये जावेंगे।

7. .

S.

अ.

तिभिन्न शहरों की समग्रेयकरण योग्य क्षेत्र/पाप्पलिक मीम में बाहर गांवों की केतल अवादी भूमि पर भवन निर्माण की स्वीकृति दिये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायतें अधिकृत होगी। ग्राम पंचायतों के आबादी क्षेत्रों से बाहर मास्टर प्लान एरिया में अन्य भूमियों हेतु लागू भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार संबंधित नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा स्वीकृति की कार्यवाही की आएगी।

 राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के क्षेत्राधिकार के लंबंध में राजस्व विभाग ते परामर्श कर निग्न नये निर्देश जारी किने जा रहे हैं।

जिन नगरों के मारटर प्लान/ट्राप्ट मास्टर प्लान नोटिफाई किया गया है, उनकी सीमाओं तक नियमन संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 के तहत की जावेगी।

जिन शहरों में मास्टर प्लान या ड्राफ्ट मास्टर प्लान नोटिफाइड नहीं है, उन शहरों में नगर परिषट्/पालिका सीमा या 1981 के नियमों में दी गई सीमा (पराफेर्स भांवों को सम्मिलित करते हुए) जो भी अधिक ही, तद नियमन संबंधी समस्त कार्यवाही राजस्थान विधियां संशोधन अधिनियम, 1999 दे प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।

नोट :-उपरोक्त व्यवस्था के लागू होने के साथ-साथ 1981 के नियमों को विलोपित किया जानों विचाराधीन है।*

10. जहां किसी गृह निर्माण सहकारी समिति अथवा खातेदार के मूल अपटी सदस्य अथवा खातेदार क्रेता के द्वारा भूमि का हरतांतरण जरिये इक्त्रारनामा एक से आ क चार किया जा चुका हो तो इस संबंध में पूर्व में जारी आदेशों में यह प्रावधान किया गय या कि किसी भूखण्ड का जितनी खार भी इस्तांतरण होगा, उतनी ही चार प्रति हस्तांतरण पर 10 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से इस्तांतरण राशि वसूल की जावेगी। इस संबंध में अब जनहित में यह निर्देश दिये जाते हैं कि नियमन तिथि से पूर्व कितनी भी बार हस्तांतरण हुआ हो, एक बार ही हस्तानरण श्रुल्क 10 रुपये प्रति वर्ग गज लिया जाकर नियमन की कार्यवाही की जावे।

जिन प्रकरणों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत बने हुए 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, उन प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :------

जिन मामलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण शुल्क तथा विकास शुल्क पूर्णत: जमा करा दिया है, उन मामलों में अब प्रार्थीयों से कोई राशि वसूल नहीं को जानी है।

अधिसूचना क्रमांक 6 (9) राज 6/99/5 दिनांक 24.2.01 के द्वार ३८६ नियम त्रिलोपित किए गए।

(.303)

- जिन मामलों में 1981 के रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तरण शुल्क ही जमा कराया गया है तथा विकास शुल्क जमा नहीं कराया गया है, ऐसे मामलों में वर्तमान नियमन दर की अन्तर राशि जमा करवाई जाक¶ नियमन किया जावे।
- त्र १९८१ के भूनि रूनन्तरण नियमों के तर्रता जो प्रकरण प्राधिकृत अधिकारिया के पास विचाराधीन है, उन सभी का स्थानान्तरण सम्यग्धित नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय को तत्काल प्रभाव से कर दिया जावे ताकि उनमें यथोचित कार्यवाही की जा सके।
- 12. ऐसी मवाप्तिधीन भूमि जिसके सम्बन्ध में न्यायालय में वाद दायर फिये हुए हैं, उन प्रकरणों में संबंधित पक्षकार द्वारा वाद वापस लिये जाने पर यदि संबंधित न्यास/स्थानीय निकाय द्वारा नियमन करने का निर्णय लिया जाता है तो उसमें नियमन की दर विन्दु संख्या 2 के आधार पर तय की जावेगी। जिन प्रकरणों में सामान्य दर देय होती है, उस जोन की सामान्य नियमन दर को 25 प्रतिशत अतिरिक्त राशि की जाकर नियमन किया जावे।
- 13. दिनांक 17.6.99 के बाद क्रय किंगे गये भूखण्ड/निर्माण भी नियमन हेतु पात्र माने जावेंगे।
 14. ले-ऑउट प्तान स्वीकृत करने यावत्।

धारा 90-रह के अन्तर्गत पुर्नग्रहित भूमियों में राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियप व उसके अधीन यने नियमों के तहत ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु ले-आउट प्लान स्वीकृत किये जन हेतु निम्नानुसार समितियों का गठन किया जावे ताकि आयंटन पत्र/लीज डीड जारी किया जाना सुगम हो सके तथा इस कार्य में गति लाई जा सके :न्य

1.	सचिव/संबंधितः नगर सुधार न्यास	अध्यक्ष	
2.	संवंधित वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर	सदस्य	
	नियोजक/सहायक नगर नियोजक		
з.	संबंधित क्षेत्र का अधिशापी अभियंता/	सदस्य	
	सहायक अभियंता	. ř	•
4.	संबंधित उप खण्ड अधिकारी/तहसीलदार	सदस्य	

इसी कार की समितियां विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा भी गठित की जा सकती है।

(जी.एस. संधु) शासन सचिव